

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1,वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राकेश, स०सांअ० वर्ग-2	उप जिलाधिकारी पुरोला जनपद उत्तरकाशी	उप जिलाधिकारी चकराता	जनहित

श्री राकेश सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2, को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री राकेश सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2 का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

-६०१-  
(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड,

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1518 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिक स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/06/2024  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राकेश सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2, द्वारा उप जिलाधिकारी पुरोला, उत्तरकाशी।
2. उप जिलाधिकारी पुरोला, उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राकेश सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. उप जिलाधिकारी चकराता।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

(डा०अभय सकसेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती सोनिया सैनी स०सांअ० वर्ग-2	उप जिलाधिकारी, चकराता	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जनहित

श्रीमती सोनिया सैनी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2, को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती सैनी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

—६०१—

(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड,

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/1517 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिक स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26-06-2024,  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती सोनिया सैनी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2, द्वारा उप जिलाधिकारी चकराता।
2. उप जिलाधिकारी चकराता को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती सोनिया सैनी सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

26/6/24

(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र जोशी स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हल्द्वानी	स्वयं के अनुरोध

श्री रमेश चन्द्र जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

दृण-  
(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/1499 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/06/24

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री रमेश चन्द्र जोशी स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री रमेश चन्द्र जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी को इस आशय से कि, श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/नैनीताल।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

26/06/24  
(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री इन्द्र सिंह बिष्ट स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर	स्वयं के अनुरोध

श्री इन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री बिष्ट का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह/

(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/1500 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/06/2024

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री इन्द्र सिंह बिष्ट स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री इन्द्र सिंह बिष्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर को इस आशय से कि, श्री बिष्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी/देहरादून।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

26/06/24

(डा०अभय सक्सेना)

उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून।


## आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री गोविन्द सिंह नेगी स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी	स्वयं के अनुरोध

श्री गोविन्द सिंह नेगी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नेगी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।




(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1501 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/06/24  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री गोविन्द सिंह नेगी स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गोविन्द सिंह नेगी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी को इस आशय से कि, श्री नेगी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून।